राष्ट्रीय सहारा

Delhi, 11.06.2014, Page-13

बाल मजदूरी रोकने के लिए एजेंडा 12 को

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) बाल मजदूरी रोकने के लिए 12 जून को एक राष्ट्रीय एजेंडा घोषित करेगा। आयोग इस काम में यूनिसेफ और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की भी मदद लेगा।

एनसीपीसीआर

भारत में बाल मजदूरी की मनाही है, हालांकि देश के पास इसके ताजा आंकड़े नहीं है। 2001 के सर्वे के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 12 मिलियन बताई जाती है। एनसीपीसीआर की अध्यक्ष कुशाल सिंह ने बताया कि बाल मजदूरी को रोकने के लिए बाल मजदूरों के परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण गरीबी है, ऐसे परिवार जिनके यहां ऐसे बच्चे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान के लिए 12 जून को एक राष्ट्रीय एजेंडा पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, परिवार को रोजगार, और ओल्ड एज पेंशन जैसे विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा।

एनसीपीसीआर की अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की बात बाल मजदूरी पर देश के विभिन्न भागों में हुई चार कार्यशालाओं में और अधिक पुष्ट हुई है। उन्होंने कहा कि श्रम कानून में 14 साल तक के बच्चों से मजदूरी कराने की मनाही है लेकिन आयोग इस पर भी जोर दे रहा है कि 18 साल तक के बच्चों से भी किसी तरह की मजदूरी नहीं कराई जाए।एनसीपीसीआर की अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का स्पष्ट मानना है कि इस उम्र में शिक्षा के सिवा किसी और क्षेत्र में बच्चों को न धकेला जाए।